भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3499

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

ईएलाई योजना का कार्यान्वयन

3499. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों और प्रतिष्ठानों की तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल वित्तीय आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत शामिल उद्योगों और क्षेत्रों के प्रकार क्या हैं और पात्रता के मानदंड क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने स्थायी रोजगार सृजन में इस योजना की प्रभावशीलता का कोई प्रभाव मूल्यांकन या समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्यमों और युवाओं और विशेषकर उच्च बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(छ) क्या सरकार का इस योजना का विस्तार, असंशोधन या अन्य रोजगार संवर्धन कार्यक्रमों के साथ एकीकरण करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): सरकार ने रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करने और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 01.07.2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया है। यह योजना, श्रम-प्रधान मंत्रालयों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात तैयार की गई है।

इस योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्षों की है और वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए इसका बजटीय परिव्यय ₹99,446

करोड़ है। इस योजना के दो भाग हैं, अर्थात् भाग क और भाग ख, और यह प्रोत्साहनों के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के भाग क के अंतर्गत 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन का प्रावधान है। योजना के भाग ख के अंतर्गत नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर्ड किसी भी क्षेत्र के सभी नियोक्ता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के बारे में व्यापक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने एक बहु-स्तरीय आउटरीच कार्यनीति अपनाई है। इसने विभिन्न स्तरों पर प्रमुख मंत्रालयों की भागीदारी वाली अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की हैं। इन मंत्रालयों ने भी उद्योग भागीदारों और संबंधित हितधारकों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्य स्तर पर योजना के संरेखण और समझ को सुनिश्चित करने के लिए माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के स्तर पर राज्य श्रम एवं उद्योग मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। आउटरीच प्रयासों को और मज़बूत करने के लिए, मंत्रालय ने ईपीएफओ, ईएसआईसी, सीएलसी आदि के अधिकारियों वाली राज्य क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों का गठन किया है। ये टीमें सक्रिय रूप से वेबिनार, सेमिनार, बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित कर रही हैं और योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं। ये देश भर में व्यापक जागरूकता और प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए उद्योग भागीदारों, राज्य अधिकारियों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ सीधे संपर्क भी कर रही हैं।

*****